



## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 16.04.2026

- अपराध व अपराधियों पर कानपुर देहात पुलिस की कड़ी कार्यवाही जारी ।
- थाना डेरापुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 अभियुक्त को चोरी किये गये सामान के साथ किया गया गिरफ्तार ।
- अभियुक्त के कब्जे से 01 जनरेटर एवं घटना में प्रयुक्त एक पिकअप गाड़ी बरामद ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादी सुधीन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार निवासी वार्ड नं0 5 गांधी नगर डेरापुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना डेरापुर पर मु0अ0सं0 56/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.04.2026 को मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए मंगलपुर तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप गाड़ी जिसमें एक जनरेटर लदा हुआ था, को रोककर पूछताछ की गयी तो गाड़ी सवार युवक द्वारा अपना नाम सन्दीप पुत्र राजू कश्यप, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी गलुआपुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात बताया तथा पूछताछ के दौरान उक्त जनरेटर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित होना पाया गया, जिसके आधार पर अभियुक्त संदीप उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

**पूछताछ का विवरण** – अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने अपने छोटे भाई कपिल के साथ मिलकर लगभग 01 वर्ष पहले डेरापुर से मुंगीसापुर जाने वाले मार्ग पर डेरापुर से लगभग एक किमी0 दूरी पर बायें साइड पर सीमेन्ट की दीवार व ईंट बनाने वाली प्लांट से एक जनरेटर, एक पानी की एक इन्ची रबड पाइप व दो हैलोजन लाइट एवं विद्युत तार को रात्रि में इसी लोडर नं0 UP78HN4016 से चोरी कर ले गये थे जनरेटर से हम अपना वैल्विंग का काम करते थे व रबड व दो हैलोजन लाइट एवं विद्युत तार को चलते-फिरते कबाड़ी को बेचकर पैसे ले लिये थे जो खर्च हो गये हैं।

अभियुक्त से पूछताछ के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त कपिल पुत्र राजू कश्यप उम्र करीब 18 वर्ष निवासी गलुआपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात का नाम प्रकाश में लाया गया । वांछित अभियुक्त कपिल उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. सन्दीप पुत्र राजू कश्यप, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी - गलुआपुर, थाना डेरापुर, जनपद कानपुर देहात ।

### **बरामदगी का विवरण-**

1. एक अदद जनरेटर - प्रकाश कम्पनी, 7.5 हार्सपावर डीजल इंजन नं० : 840890, अल्टरनेटर नं० : 850164
2. एक अदद लोडर महिन्द्रा पिकअप नं0 UP78HN4016 (अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज)

### **अभियुक्त सन्दीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 251/2025 धारा 305/317(2)/331(4) BNS थाना रूरा जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 56/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात,

### **गिरफ्तार करने वाली डेरापुर पुलिस टीम**